रजिस्टी सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

# 

**JU3** The Gazette of India असाधारण

**EXTRAORDINARY** 

भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii) PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 533] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 8, 2007/वैशाख 18, 1929 No. 5331 NEW DELHI, TUESDAY, MAY 8, 2007/VAISAKHA 18, 1929

# पोत परिवहन, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सडक परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2007

का.आ. 724(अ),---केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के, स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट सेक्शन के खंड को, जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है ।

### सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	सेक्शन	लंबाई, किलो मीटर में
(1)	(2)	(3)
6	रायपुर-नागपुर खंड (दुर्ग बायपास) छत्तीसगढ़ राज्य में	322.400 किलो मीटर से 404.800 किलो मीटर तक
6	रायपुर-नागपुर खंड महाराष्ट्र राज्य में	405.000 किलो मीटर से 485.000 किलो मीटर तक
21	कुराली~कीरतपुर पंजाब राज्य में	28.600 किलो मीटर से 73.200 किलो मीटर तक

[फा. सं. एनएच-14013/9/2006-पी और एम]

रेणुका जैन गुप्ता, निदेशक

# MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

# (Department of Road Transport and Highways)

# NOTIFICATION

# New Delhi, the 8th May, 2007

S.O. 724(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the Section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India. 2341 GI/2007 (1)

# THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

National Highway No.	Section	Stretch in Kilometer
(1)	(2)	(3)
6	Raipur-Nagpur Section (Durg Bypass)	Km.322.400 to Km.404.800
	in the State of Chattisgarh	
6	Raipur-Nagpur Section	Km. 405.000 to Km.485.000
	in the State of Maharastra	
21	Kurali-Kiratpur	Km.28.600 to Km. 73.200
	in the State of Punjab	

# Table

# [F. No. NH-14013/9/2006-P&M] RENUKA JAIN GUPTA, Director

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2007

का.आ. 725(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्ननिखित और संशोधन करती – है, अर्थात् :—–

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

(क) क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :-

1 3		
1	2	3
"5		
	(दुर्ग बाईपास) तक और 238.000 किलो मीटर से 281.000 किलो मीटर तक (रायपुर-	"छत्तीसगढ राज्य
	औरंगपर) को छोडलरी जे 12क जो 10 जे 12 जे	सरकार"
İ	औरंगपुर) को छोड़कर], सं. 12क, सं. 16, सं. 43, सं. 78, सं. 200, सं. 202, सं.	, ,
	217 और सं. 221 जो छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग 111	
	और 216	

2

# भारत का राजपत्र : असाधारण

(ख) क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जांएगी, अर्थात् :--

1	2	3
Í .	राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 3[ 561.0 कि. मी. से 585.0 कि. मी. रा.रा. 4 सहित जंक्शन से	महाराष्ट्र राज्य सरकार"
"14	मुम्बई तक, 380.00 किलो मीटर से 265.00 (पिंपलागांव-धूले) तथा 539.500 किलो	
	मीटर से 440.000किलो मीटर (वाडपे-गोंडे) तक को छोड़कर], सं.4 20.400 किलो	•
	मीटर से 139.910 किलो मीटर तक (पुणे-थाणे सेक्शन) सं. 6[9.20 किलो मीटर से	•
	100.00 किलो मीटर (नागपुर-तालेगांव), 149.800 किलो मीटर से 166.000 किलो	
	मीटर (अमरावती बाईपास) और 405.000 किलो मीटर से 485.000 किलो मीटर	
	(रायपुर-नागपुर सेक्शन) तक को छोड़कर] राष्ट्रीय राजमार्ग सं09, सं.13, सं.17, सं. 69	. ·
	. और सं. 222 महाराष्ट्र राज्य के भीतर स्थिति भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 50	
	[12.190 किलो मीटर से 42.000किलो मीटर तक (पुणे-नासिक सेक्शन) को छोड़कर],	
	सं. 204 तथा सं. 211 ।	

(ग) <sup>1</sup> क्रम संख्या 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :-

1	2	3
	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1[ 212.000 कि. मी. से 387.100 कि. मी. तक (हरियाणा/ पंजाब	पंजाब राज्य सरकार"
	सीमा से जालंधर तक) को छोड़कर] सं. 10, सं. 15, सं. 20, सं. 21 [28.600	1
	किलोमीटर से 73.200 (कुराली-कीरतपुर) तक को छोड़कर], सं. 22, सं. 64, सं. 70	
	और सं. 71 पंजाब राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 95	

[फा. सं. एनएच-14013/9/2006-पी और एम] रेणुका जैन गुप्ता, निदेशक

पाद टिप्पण :— मूल अधिसूचना संख्यांक का.आ.1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें निम्नलिखित संख्यांक द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए :-

- 1. का.आ.1398(अ), तारीख 27 सितंबर, 2005 ;
- 2. का.आ.1584(अ), तारीख 10 नवंबर, 2005 ;
- 3. का.आ. 465 (अ), तारीख 30 मार्च, 2006 ;
- 4. का.आ. 1891(अ), तारीख 2 नवंबर, 2006 ;

3

### NOTIFICATION

# New Delhi, the 8th May, 2007

S.O.725(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, number S.O.1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005, namely:-

In the Schedule to said notification,-

١

(a) for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-

1	2	3
"5	So much of National Highways No. 6 [excluding from km.307.600 to Km. 404.800 { Raipur-Nagpur Section (Durg Bypass)} and from Km. 238.000 to 281.000 (Raipur-Aurang)], No. 12A, No. 16, No. 43, No. 78, No. 200, No. 202, No. 217 and No. 221 as are situated within the State of Chhattisgarh and National Highway Nos. 111 and 216.	Government of Chhattisgarh";

(b) for serial number 14 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-

1	2	3
"14	So much of National Highways No.3 [excluding from	State
	Km. 561.0 to Km. 585.0 from Junction with NH 4 to	Government of
	Mumbai, from Km.380.000 to Km. 265.000	Maharashtra.";
	(Pimplagaon-Dhule) and Km.539.500 to	
s.	Km.440.000 (Vadape-Gonde)], No.6 [(excluding from	
	Km. 9.20 to Km. 100.000 (Nagpur-Talegaon),	
	Km.149.800 to Km.166.000 (Amravati bypass) and	
	Km.405.000 to 485.000 (Raipur-Nagpur Section)],	
	No.9, No.13, No.17, No.69 and No.222. as are	
	situated within the State of Maharashtra and	
	National Highway No.50 [excluding from Km.12.190]	
	to Km.42.000 (Pune-Nasik section)], No.204 and	
*	No.211.	

## भारत का राजपत्र : असाधारण

(c) for serial number 20 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-

1	2	3
"20	So much of National Highways No.1	State
	[(excluding, from Km. 212.000 to Km.387.100	Government of
	(Haryana/Punjab Border to Jalandhar)],	Punjab."
	No.10, No.15, No.20, No.21 [(excluding Km.	
	28.600 to Km. 73.200 (Kurali-Kiratpur)],	
	No.22, No.64, No.70 and No.71 as are situated	
	within the State of Punjab and National	
	Highway No.95.	

# [F. No. NH-14013/9/2006-P&M] RENUKA JAIN GUPTA, Director

Footnote:— The principal notification was published vide number S.O. 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005 and subsequently amended vide No:-

- 1. S.O.1398 (E), dated the 27th September, 2005;
- 2. S.O.1584 (E), dated the 10th November, 2005;
- 3 S.O.465 (E), dated the 30th March, 2006;
- 4. S.O.1891 (E), dated the 2<sup>nd</sup> November, 2006.

2341 GI/07-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. -5